

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिरवा, उदयपुर

चतुरलाल

विपक्षी

माताकाला

मुकदमा

वार्द

पत्रावली संख्या

84/21

सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>2.12.24</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित हुए। वादी दाय्य अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर नो-इन्स्ट्रक्शन अंकित करते हुए कथन किया गया कि वादी अधिवक्ता द्वारा वादी से सम्पर्क करने की कोशिश की गई परन्तु वादी उपस्थित नहीं हो रहा है। जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि वादी अपने वाद से प्रति होमौर नहीं है तथा वाद चलाना नहीं चाहता है।</p> <p>अतः वादी का वाद चलाना नहीं चाहिए। अतः वादी का वाद अद्यपि पेशी अदम हाजरी में खाजि किया जाता है। निर्गत अरेडजलाल सुनाया गया। प्रकरण फैंसल-शुमार हाउर नम्बर से कम है।</p>	<p>No instruction</p> <p>Je. Anandit</p> <p>21/12/24</p> <p>(रियासबी)</p> <p>IAS</p>